

## कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9708/2016-17/299 दिनांक:- 29.9.16

अति./वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी,  
कम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति -

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके मांग पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता (03)-प्रा.वि.(बालक), [01]-स्थापना व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र. स.	आफिस कोड	बीईईओ कार्यालय का नाम	आवंटित राशि रूपयों में	विवरण
1	1463	चूरु	46,800	श्री दशरथ कुमार, च.श्रे.क. के हृदय रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1600	फतेहपुर(सीकर)	93,695	श्रीमती सावित्री चौधरी, अ., रा.उ.प्रा.वि. सुभाष फतेहपुर के पति के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		<b>योग</b>	<b>1,40,495</b>	

(अक्षरे रूपये एक लाख चालीस हजार चार सौ पिच्यानवे मात्र)


आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

  
 वरिष्ठ लेखाधिकारी,  
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

  
 वरिष्ठ लेखाधिकारी